दिनांक: 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम अबाबाकरपुर नौगावा में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 90000/- रूपये व चोरी का अन्य सामान बरामद।

बरामदगी-

- **90 हजार रुपये**
- **08 चांदी के सिक्के**
- **02 आधार कार्ड**
- **01 मोबाइल फोन MI कम्पनी का**
- **03 लैडिज पर्स**

अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2023 को थाना मिर्जापुर पर वादी बलवीर पुत्र जगराम निवासी ग्राम अबाबाकरपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा बाबत दिनांक 12/13.09.23 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा बलवीर सिंह के घर मे अंदर जाकर सोना, चाँदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मु0अ0स0 134/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये थे। निर्देशो के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट द्वारा के कुशल नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा दिनांक आज 21.09.2023 को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभि0 गण- **1.राहुल उर्फ विक्रान्त पुत्र मुकेश, 2.अजीम पुत्र सलीम 3.नदीम पुत्र सलीम, 4.रिजवान पुत्र गुफरान, 5.मोहसीन पुत्र गुफरान निवासीगण ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को कासमपुर पुलिया के पास से चोरी किये गये माल 90 हजार रुपये व 08 चांदी के सिक्के व दो आधार कार्ड, एक मोबाइल फोन mi ,तीन लैडिज पर्स सहित गिरफ्तार किया गया। अभि0 गण को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते:-

1.राहुल उर्फ विक्रान्त पुत्र मुकेश धीमान निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रुडकी जिला हरिद्वार उत्तरा
2.अजीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रुडकी जिला हरिद्वार उत्तरा
3.नदीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रुडकी जिला हरिद्वार उत्तरा

4.रिजवान पुत्र गुफरान निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रुडकी जिला हरिद्वार उत्तरा
5.मोहसीन पुत्र गुफरान समस्त निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

पूछताछ करने पर अभि0 राहुल उर्फ विक्रान्त उपरोक्त ने बताया कि वह मदरहुड युनिवर्सिटी करोडी भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड से BSC की पढाई कर रहा था तभी उसकी जान पहचान ग्राम अबाबाकरपुर में हुई। उसका गांव मे आना जाना होने लगा तो उसे जानकारी मिली कि बलवीर के लडके मिलन की शादी बिहारीगढ से तय हुयी थी लेकिन बाद में रिश्ता टुट गया था, जिसमें बलवीर ने काफी सोने चांदी के जेबर चढाये थे और वह सारा समान बलवीर के घऱ पर ही रखा है। बलवीर के मकान की रैकी कर अपने साथियों को भी मैने बलवीर का मकान दिखाया था। चोरी करने वाले दिन राहुल उर्फ विक्रान्त व उसका साथी रिजवान और अजीम और नदीम मकान के बाहर गली में दूसरे रास्ते से आकर निगरानी कर रहे थे। बलबीर के मकान के अन्दर दानिश और मोहसीन ही चोरी करने गये थे बाद मे सभी का बराबर का हिस्सा तय हुआ था। दिनाकं 12/13.09.23 की रात्रि मे ग्राम अबाबाकरपुर नौगांवा में बलवीर के मकान से जो माल उनके द्वारा चोरी किया था उक्त माल रुपयो व जेबरात को उसी दिन यहाँ पर कासमपुर पुलिया के नीचे छुपा दिये थे क्योकि पुलिस से पकडे जाना का भय था। इसलिये उस दिन चोरी किये हुए माल को छिपा कर चले गये थे। आज इस चोरी किये हुए रुपयो को लेने व बाटने आये थे। हम हिस्सा बाट रहे थे कि पुलिस में हम लोगो को पकड लिया। मौके से एक अभि0 फरार होने मे सफल रहा, जिसके पास भी चोरी का कुछ माल एक थैले में था।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-</u>

1. प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 सुनील कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. हेका0 510 जितेन्द्र त्यागी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
7. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
8. का0 2319 दानवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
9. का0 2566 राकेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 21-09-2023

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना सदर बाजार व स्वाट टीम सहानरपुर पुलिस द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र पर लूट के वांछित 02 शातिर लूटेरे को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 9300/ रूपये बरामद</u>

- **अभि0 सागर से वरामद 4700/ रूपये**
- **अभि0 अर्जुन से बरामद 4600/ रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल स्पेलण्डर प्लस विना नम्बर प्लेट**

अवगत कराना है कि दिनांक 11.9.2023 को वादी श्री अनुपम शर्मा पुत्र बंशीधर नि. 2सी / 968 दयाल कालोनी , थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत मुंह पर गमछा लपेटे हुए दो अज्ञात व्यक्ति वादी के बैंक ऑफ ब्रडौदा ग्राहक सेवा केन्द्र दयाल कालोनी पर आए , वादी से पैसा लूटने की नीयत से तमंचा दिखाकर गोली मारने का भय दिखाना छीनाछपटी में अभियुक्तगण का तमंचा मौके पर गिर जाना के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 397/23 धारा 394 भादवि बनाम 02 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व लूटेरो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी सदर बाजार को आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर स्टेट बैंक कालोनी तिराहे से चुन्हेटी फाटक की तरफ दिल्ली रोड से अभि0 **1.सागर पुत्र सुरेश पाल नि. ग्राम उमरी कला थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर 2. अर्जुन पुत्र शिवराज नि. भावकला थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सागर के कब्जे से वादी मुकदमा के ग्राहक सेवा केन्द्र से लूटे गये 4700/ रूपये व अभियुक्त अर्जुन कब्जे से वादी मुकदमा के ग्राहक सेवा केन्द्र से लूटे गये 4600/- रू व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पेलण्डर प्लस विना नम्बर प्लेट एलाय व्हील वरामद की गयी। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अवगत कराना है कि घटना मे सम्मिलत एक अभियुक्त **गौरव कुमार पुत्र बसंत कुमार निवासी तिगरी रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को दिनांक 19.09.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्तगणो से पूछताछ पर अभियुक्त सागर ने बताया कि मेरा दोस्त व रिश्ते का फुफेरा भाई गौरव पुत्र बसंत नि. तिगरी रामगढ कीब चार-पांच महीने से पने मामा विनोद के पास संगम विहार कालोनी में रहकर आईटीसी कम्पनी में ठेकेदार के पास नौकरी कर रहा था। दिनांक 05.9.2023 को मैं व फुफेरे भाई गौव दयाल ग्राहक सेवा केन्द्र पर गये। ग्राहक सेवा केन्द्र पर 18150 रू0 देकर ट्रान्सफर कराये थे, तो मैने वहां देखा कि ग्राहक सेवा केन्द्र में गल्ले में काफी रूपये रखे हुए थे। रास्ते में गौरव से कहा कि ग्राहक सेवा केन्द्र पर काफी रूपय रहते है। इसको लूटने का प्लान बनाते है तो गौरव ने तुरन्त हामी भर दी इसके बाद मैं चला गया तथा यह बात अपने साथी अर्दुन पुत्र शिवराज नि0 भाकला को बतायी तो अर्जुन भी इसके लिए तुरन्त तैयार हो गया | मैं और अर्जुन दि.11.09.23 के करीब 12 बजे दिन मोटर साइकिल से धारिया विल्डर्स पहंचे जहॉ हमने फोन कर गौरव को बुलाया तथा गौरव के आने पर हम तीनो लोग मोटर साइकिल से दयाल कालोनी के लिए चले तथा आपस मे ग्राहक सेवा केन्द्र को लूटने के बारे में योजना एक दूसरे को बताई तो गौरव ने कहा कि मैं ग्राहक सेवा केन्द्र पर नहीं जाउगां क्योकि वो मुझे पहचान लेगा और गौरव ने अपने पास

लिया तमंचा मुझे दे दिया और कहा कि तुम दोनो भी मुंह पर कपडा बांधकर जाना। मैं तुम्हे ग्राहक सेवा केन्द्र के बाहर पैदल घूमकर पूरी जानकारी देता रहूंगा। मैं और अर्जुन मोटर साइकिल से ग्राहक सेवा केन्द्र पर चले गये तथा गौरव वहीं खडे होकर निगरानी करता रहा कि ग्राहक सेवा केन्द्र मालिक को मेरे व अर्जुन द्वारा तमंचा दिखाकर धमकाने पर ग्राहक सेवा केन्द्र के मालिक ने हडबडाकर विरोध करते हुए मेरा तमंचा पकड लिया तथा छीनने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने गल्ले में हाथ डालकर रूपये निकाल लिए और कहा कि भागो तो तमंचा वहीं गिर गया तथा मैं व अर्जुन मोटर साइकिल से मल्हीपुर रोड की तरफ भाग गये। रास्ते में गौरव को भी मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गये। लूटे गये रूपये गिने तो कुल 22800 /रू मिले थे, जिनमें 100/रू के नोट ज्यादा थे तो हमन जल्दी में पैसे आपस में बांट लिए तथा 7000/ रू सागर को तथा 6500 रू गौरव को दिये। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के बारें में बताया कि यह मोटर साइकिल 6 महीने पहले हरियाणा के एक लडके से 6000/ रू में खरीदी थी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1.सागर पुत्र सुरेश पाल नि. ग्राम उमरी कला थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर
2. अर्जुन पुत्र शिवराज नि. भावकला थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम : –

1. उ0नि0 राजीव गौर, थाना सदर बाजार स0पुर
2. उ0नि0 विजेन्द्र रावल, थाना सदर बाजार स0पुर
3. है0का0 1020 सुमिल बैंसला ,थाना सदर बाजार स0पुर
4. का0 1590अंकुर ,थाना सदर बाजार स0पुर
5. है0का0 447 अमरदीप, स्वाट टीम सहारनपुर
6. का0 405 गौरव राठी, स्वाट टीम सहारनपुर

दिनांक: 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर ट्रक को ले जाने व कूटरचना कर फर्जी नम्बर प्लेट उपयोग करने वाले 02 अभियुक्तों को मय ट्रक के किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2023 को वादी रियाज अहमद पुत्र फैय्याज निवासी हबीबगढ थाना कुतुबशेर, सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित होकर एक किता प्रार्थना पत्र बाबत कन्डकटर अभियुक्त रिंकू पुत्र बन्ने निवासी ग्राम चांदपुर थाना खुटार जिला शहजहांपुर द्वारा मेरा ट्रक लिया था, जो वापस नही कर रहा है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी मु0अ0सं0 211/23 धारा 406 भादवि दर्ज किया गया तथा विवेचना उप निरी0 जितेन्द्र सिहं के सुपुर्द किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं ट्रक की बरामदगी शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 21.09.2023 को थाना जनकपुरी पुलिस पर गठित टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण **1. जुम्मा पुत्र नामे अली निवासी ग्राम डुभरी माराखेडी थाना नहटौर जिला बिजनौर** उम्र 45 वर्ष **2. रिंकू सिह पुत्र स्व0 बन्ने निवासी ग्राम चांदपुर थाना खुटार जिला शाहजहांपुर** उम्र 20 वर्ष C/O वेदप्रकाश पुत्र सुखलाल निवासी लालपुर थाना पुवाया जिला शहजहांपुर को मय ट्रक 10 टायरा रजि0 न0 UP 27AT 3462, चैचिस न0 426021HWZ120916, इंजन न0 30H62283316 मय एक फर्जी नम्बर प्लेट UP 20T 9746 के बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। तथा बरामदगी के आधार पर धारा 411, 420, व 465 भादवि की बढोतरी की गयी । अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

पुछताछ के दौरान अभियुक्त रिंकू द्वारा बताया गया कि मै ट्रक को ट्रांसपोर्ट नगर से बिना मालिक रियाज उपरोक्त को बताये लेकर अपने दोस्त जुम्मा उपरोक्त के पास उसके घर चला गया था। जहां पर ट्रक को बेचेने के उद्देशय से हम दोनो सबसे पहले ट्रक की असली नम्बर प्लेट को हटा दिया तथा इसके स्थान पर दूसरे ट्रक की नम्बर प्लेट ट्रक पर लगा दी थी। आज हम इस ट्रक को हरिद्वार में बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हम लोगो को पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1. जुम्मा पुत्र नामे अली निवासी ग्राम डुभरी माराखेडी थाना नहटौर जिला बिजनौर उम्र 45 वर्ष
2. रिंकू सिह पुत्र स्व0 बन्ने निवासी ग्राम चांदपुर थाना खुटार जिला शहजहांपुर उम्र 20 वर्ष C/O वेदप्रकाश पुत्र सुखलाल निवासी लालपुर थाना पुवाया जिला शहजहांपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 ट्रक दस टायरा
- 01 फर्जी प्लेट नं0 UP 20T 9746

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- उ0नि0 जितेन्द्र सिह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
- है0का0 354 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
- का0 1873 विक्रान्त, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

दिनांक:21.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा होमगार्ड के साथ लूट की घटना का प्रयास करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 मोटर साईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 20/09/2023 को वादी मुकदमा होमगार्ड अजीत कुमार पुत्र स्वं0 श्री पहल सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ने सूचना दी की वह दिनांक 19/09/2023 को समय लगभग 09.45 बजे रात्रि मे अपनी डियूटी समाप्त करके घर वापस आ रहा था कि देवबन्द में ग्राम बाबूपुर के पास दोनो नहरो के बीच उसके साथ चार अज्ञात व्यक्तियो ने तमंचे के बल पर लूटने का प्रयास किया लेकिन लूटने मे असफल रहे और होमगार्ड अजीत कुमार के शोर मचाने पर अज्ञात अभियुक्तगण भागने मे सफल रहे। उक्त घटना की सूचना के सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-504/23 धारा 394/506 भा.द.वि पंजीकृत किया गया।

उक्त मामले मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के निर्देशन मे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उक्त लूट की घटना का अनवारण करते हुए अभियुक्तगण- **(1) फैसल पुत्र स्व0 मौ0 शकील निवासी फौलादपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मय नाजायज देशी तमंचा 12 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व **(2) अनवीश उर्फ भूरे पुत्र अरविन्द निवासी फतेहपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर मेला गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शदा अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण फैसल व अवनीश उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हमे पैसे की जरूरत थी। जिस कारण हमने दिनांक 19/09/2023 को होमगार्ड को लूटने की योजना बनाई, जैसे ही नहरो के पास उसे अकेला देखकर तमंचे के बल पर लूटने की कोशिश की, होमगार्ड ने शोर मचा दिया जिस कारण हम सभी मौके से भाग गये थे और लूट की घटना को अंजाम नही दे सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

(1) फैसल पुत्र स्व0 मौ0 शकील निवासी फौलादपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(2) अनवीश उर्फ भूरे पुत्र अरविन्द निवासी फतेहपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(1) उ0नि0 रामनरेश वर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(2) है0कां0 406 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(3) है0कां0 979 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(4) कां0 2358 तरूण कुमार थाना देवबंद जनपद

दिनांकः- 21.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 05 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 20/09/23 को जे0वी0 जैन इण्टर कालेज थाना मण्डी सहारनपुर में छात्रों के बीच हुए झगडे में अभियुक्त समीर द्वारा फोन करके अपने कालेज से बाहर के दोस्तो को बुलाकर लक्की नाम के छात्र पर चाकू से हमला करके गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मजरूब का प्राथमिक उपचार कराया गया तथा तहरीर प्राप्त कर थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 299/23 धारा 307/147/148/149/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, के निर्दशन मे वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर घटना में शामिल 05 अभियुक्तगण को बेहट अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य अभियुक्त समीर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी लक्की से स्कूल में कहासुनी हो गयी थी। मैने अपने स्कूल के लडके उमर के मोबाईल से अपने दोस्त जुनैद के मोबाईल पर फोन करके अपने दोस्तो जुनैद, यूसुफ, शाकिब व दानिश को स्कूल जे0वी0 जैन इण्टर कालेज में बुलाया था। मैं व मेरे चारो दोस्त लक्की से बातचीत करने आये थे तो वहीं स्कूल मे हमारी गाली गलौच व मारपीट हो गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. समीर पुत्र अब्दुल मालिक निवासी मदनपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर उम्र 18 वर्ष
2. जुनैद पुत्र जहीर निवासी इब्राहिम कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर, उम्र 19 वर्ष
3. यूसुफ पुत्र मुन्फैत निवासी अठन्नी वाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, उम्र 19 वर्ष
4. शाकिब पुत्र अकबर निवासी मिद्दे वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर उम्र 20 वर्ष
5. दानिश पुत्र यासीन निवासी मिद्दे वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 सुनील वर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 2028 प्रवीण कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 867 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 414 गुलनवाज थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 476 शुभम तालियान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: **21.09.2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांरटी अभियुक्त को किया गयी गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **विशाल पुत्र रमेश नि0 पंजाबी कालोनी गली नं0 3 कस्बा छुमटलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2831/23, मु0अ0सं0 84/15 धारा 411/414 भादवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल पुत्र रमेश नि0 पंजाबी कालोनी गली नं0 3 कस्बा छुमटलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. का0 2207 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांकः 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहानरपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बाइक बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.6.2023 को वादी श्री अमरीश कुमार पुत्र विष्णु दत्त शर्मा नि. दुर्गापुरी कालोनी ,खलासी लाइन, थाना सदर बाजार स0पुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल न. UP11 AK 3585 दि. 08.6.2023 को दुर्गापुरी खलासी लाइन से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 3258/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी सदर बाजार को आदेश निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.09.2023 को लकडी के पुल रेलवे लाइन के पास स्थित तिराहा से अभि0 **1.परविन्द्र उर्फ मोल्हू पुत्र राजकुमार नि. कोरी माजरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर समय करीब 07.30 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त परविन्द्र के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल स्पेलण्डर प्लस न0 यूपी 11 एके 3585 बरामद की गयी. । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त परविन्द्र उपरोक्त ने बताया कि यह मोटर साइकिल मैनें व मेरे एक अन्य साथी न करीब 2-3 महीने पहले मौहल्ला दुर्गापुरी खलासी लाइन से एक मकान के सामने से चोरी की थी। मै इसको बेचने की फिराक मे था।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता :-

परविन्द्र उर्फ मोल्हू पुत्र राजकुमार नि. कोरी माजरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण :-

मोटर साइकिल स्पेलण्डर प्लस न0 यूपी 11 एके 3585 ,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम : –

1. म0उ0नि0 श्वेता शर्मा थाना सदर बाजर स0पुर
2. का0 2329 अनिल थाना सदर बाजर स0पुर
3. का0 1967 अनुज थाना सदर बाजर स0पुर

दिनांक: **21-09-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थो /अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित व्यक्ति के दौरान एक अभियुक्त **जावेद पुत्र फुरकान निवासी रामपुर उर्फ जमाईपुरा थाना गंगनहर जिला हरिद्वार** को कासमपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त जावेद के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 142/23 धारा 60/63 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मै मजदूरी करता हूँ मेरे परिवार की स्थिति कमजोर है इसलिए मैं पैसे कमाने के लालच में मै हरियाणा से सस्ते दामो में शराब खरीदता हूँ जिसे आज मैं अपने यहाँ बेचने जा रहा था कि रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जावेद पुत्र फुरकान निवासी रामपुर उर्फ जमाईपुरा थाना गंगनहर जिला हरिद्वार

बरामदगी का विवरणः-

2 बोतल देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 958 धीरेन्द्र सिंह तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभि0 **इमरान उर्फ राजू पुत्र इनाम नि0 शामादार निकट जोगियान पुल थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 958/2019 धारा 125(3)सीआरपीसी मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश /परिवार न्यायालय सहारनपुर नियत तिथि 27.09.23 को गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इमरान उर्फ राजू पुत्र इनाम नि0 शामादार निकट जोगियान पुल थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना को0नगर सहारनपुर
2. है0का0 154 श्रवण कुमार थाना को0नगर सहारनपुर
3. का0 1320 विकास मान थाना को0नगर सहारनपुर

दिनांक: 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से बालू रेत की चोरी करने वाले अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा के निर्देशन में अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **सादीन पुत्र सीदू निवासी सराज कालोनी मौहल्ला खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर** उम्र – 38 वर्ष को बागेश्वर मन्दिर से आगे पुरानी चुंगी की तरफ ट्रांसफार्मर के पास से मय 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा रंग लाल मय ट्राली (बालू रेत से भरी हुई) बिना नम्बर के साथ गिरफ्तार किया गया । जब कि दूसरा अभियुक्त **शौकीन पुत्र सलीम निवासी सब्जी मण्डी के पीछे 62 फुटा रोड थाना कु0शेर सहारनपुर** मौके का फायदा उठाकर मौके से भाग गया था। ट्राली मे अवैध रूप से खनन रेत ओवरलोड भरा हुआ था जिसका कुल वजन 115 कुन्तल 20 किलो है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 170/23 धारा 379/411/420 भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त **शौकीन पुत्र सलीम निवासी सब्जी मण्डी के पीछे 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर सहारनपुर** उम्र 32 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर मस्जिद के सामने बेहट रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सादीन ने ट्रेक्टर ट्राली मे भरे खनन के बारे मे पूछने पर बताया कि मै तथा मेरा मालिक शौकीन यह रेत यमुना नदी से चोरी से भरकर ला रहे थे तथा हमारे पास इसकी कोई रॉयल्टी नही थी तथा पुलिस को धोखा देकर बचकर निकलने के लिये मैने तथा मेरे मालिक ने ट्रैक्टर व ट्राली पर नम्बर नही डाल रखे है ताकि कोई यह न समझ पाये कि ट्रैक्टर ट्राली से कोई कोमर्शियल बिजनेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सादीन पुत्र सीदू निवासी सराज कालोनी मौहल्ला खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. शौकीन पुत्र सलीम निवासी सब्जी मण्डी के पीछे 62 फुटा रोड थाना कु0शेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

01 ट्रैक्टर महिन्द्रा लाल रंग DI 265 नं0 UP14AC2806 मय ट्राली (बालू रेत से भरी हुई) वजन 115 कुन्तल 20 किलो।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना को0नगर सहारनपुर।
उ0नि0 श्री मान सिंह थाना को0नगर सहारनपुर।
है0का0 154 श्रवण कुमार थाना को0नगर सहारनपुर।
का0 1065 अनुजपाल थाना को0नगर सहारनपुर।

दिनांकः 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध नशीली वस्तु विक्रय करने वाले व नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बेहट योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त **उस्मान पुत्र यासीन निवासी-रेडी मोहिद्दीनपुर थाना-बेहट जनपद-सहारननपुर** उम्र करीब 23 वर्ष को ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-419/23 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व 332,353 भादवि व 7 CLA एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै अनपढ हूँ तथा मजदूरी करता हूँ तथा नशे का आदी हूँ गांव की ही एक दो पड़ोस की महिलों के साथ मिलकर मै स्मैक बेचने का काम करता हूँ और मै स्मैक को बेचकर अपना व अपने परिवार का खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उस्मान पुत्र यासीन निवासी-रेडी मोहिद्दीनपुर थाना-बेहट जनपद-सहारननपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 122/22 धारा 8/20 NDPS ACT
2. मु0अ0सं0 174/23 धारा 8/20 NDPS ACT चालानी थाना बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 मेहर सिह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 राहुल कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 151 बाबूराम थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
5. है0का0 521 सुनील कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
6. है0का0 586 राजीव कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
7. का0 2192 रामकान्त कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
8. का0 2389 नरेश कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
9. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
10. का0 1323 कुलदीप थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
11. का0 2300 पीतम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
12. का0 2467 चन्द्रकान्त थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
13. का0 2064 रुचिन कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
14. म0का 440 नजमा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद सहारनपुर, पुलिस द्वारा छेड़छाड़ का 01 वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान मे अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 442/23 धारा 452/354(ख)/506 भा.द.वि के वांछित अभियुक्त **मोनू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम आखनौर खेड़ा नं0 02 थाना नांगल जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 21/09/2023 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–
मोनू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम आखनौर खेड़ा नं0 02 थाना नांगल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
(1) उ0नि0 आजाद सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(2) है0कां0 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांकः 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व उ0नि0 श्री सुन्दर सिह थाना सरसावा द्वारा मय हमराह फोर्स के थाना सरसावा के मु0अ0सं0 – 152/2023 धारा 366, 376 आईपीसी में वांछित अभियुक्त **आमिर पुत्र मीर हसन निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को नकुड तिराहा पुलिस चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आमिर पुत्र मीर हसन निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0–0265/2021, धारा – 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 -0152/2023 धारा 366,376 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुन्दर सिह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2.हे0कां0 886 रोहित कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3.का0 2504 रवि कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे उ0नि0 श्री सुन्दर सिह थाना सरसावा द्वारा मय हमराह फोर्स के थाना सरसावा के मु0अ0सं0 – 173/2023 धारा 379 आईपीसी में वांछित अभियुक्त **राशिद पुत्र हसन निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली हाल पता ग्राम रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली** को पिलखनी अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने व मेरे साथी मुन्नू पुत्र रुकमूदीन निवासी ग्राम अकबरपुर चुन्हेटी थाना कैराना जनपद शामली के साथ मिलकर कस्बा सरसावा से एक पिकअप गाडी नं0 UP 11 T 9541 चोरी की थी, हम दोनो ने उस पिकअप गाड़ी को अगस्त के महीने में कस्बा सरसावा के पास रायपुर रोड पर जंगल में छुपा दिया था, वह गाडी जंगल से पुलिस ने बरामद कर ली थी। मेरा साथी मुन्नू को हरियाणा पुलिस ने पकड लिया था।

गिरफ्तारअभियुक्त का नाम व पताः-

राशिद पुत्र हसन निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली हाल पता ग्राम रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0–0178/2017, धारा – 307,324,506 भादवि थाना झिझाना शामली
2.मु0अ0सं0 -0173/2023 धारा 379 भादवि थाना सरसावा स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुन्दर सिह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2.हे0कां0 892 अजय राठी, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3.का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 21-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतू चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.09.2023 को ग्राम कलसिया से श्री अजय कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम कलसिया के निर्माणाधीन मकान से अभियुक्त गण **1. कोमल पुत्र धर्मसिंह व 2.बादल उर्फ विशाल पुत्र रिषिपाल 3. लक्की पुत्र विनोद 4. शक्ति पुत्र दलीप सिंह निवासी गण कलसिया थाना बेहट जिला सहारनपुर** द्वारा दो नलकूप चोरी किये जिनको आज बेचने के लिए जाते समय अभियुक्त **कोमल व बादल** उर्फ विशाल उपरोक्त को नगला झण्डा से अजय कुमार द्वारा अपने भाई अतरसिंह पुत्र जयपाल के सहयोग से पकडकर मय माल दो नलकूप के सामान के साथ पकडकर थाना बेहट पर लाया गया जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया व अभियुक्त गण को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि0 कोमल व बादल उर्फ विशाल से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त गण द्वारा बताया कि हम दोनो ही अनपढ है तथा मजदूरी करते है हमे नशा करने की आदत हो गयी है जिस कारण हम अपने साथी लक्की व शक्ति के साथ मिलकर चोरी करके सामान को किसी भी कबाडी के पास बेच देते है उनसे जो पैसे मिलते है उनसे हम नशा कर लेते है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कोमल पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. बादल उर्फ विशाल पुत्र रिषिपाल निवासी ग्राम कलसिया थाना बेहट जिला सहारनपुर

फरार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.लक्की पुत्र विनोद निवासी ग्राम कलसिया थाना बेहट जिला सहारनपुर

2.शक्ति पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

02 नलकूप का चोरी गया सामान , 02 मशीन , 02 डोलची , 02 हत्थी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कोमलः-

1. मु0अ0स0 616/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट

आपराधिक इतिहास बादल उर्फ विशाल

1. मु0अ0सं0 44/18 धारा 13 जुआ अधि0 - थाना बेहट